कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 96/18

अन्तर्गत धारा 111, 128 आरटीए

दिनांकः– 11.5.2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी नीता पत्नि जीवणलाल परमार नि0 नरणिया ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत में दिनांक 11.05.2018 .को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले0रे0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा नरणिया पंचायत समिति दोवडा में स्थित खाता संख्या 160 पर आराजी नं0 1200 कुल 00 बीघा 10 बिस्वा किता 01 योग रकबा 00 बीघा 10 बिस्वा.पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी श्री कन्हैयालाल, प्रदिप मंजूला पिता डूंगरसिंह श्याम बेवा डूंगरसिंह के खातेदार श्री प्रदीप उम्र व्यस्क नि0 नरणीया ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम नरणिया .की जमाबंदी सम्वत् 2073–76 के खसरा नं0 1201 रकबा 01 बीघा चार बिस्वा की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया एवं पत्थरगढी हेतु सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा नरणिया में स्थित खाता संख्या 160 पर आराजी नं0 1200 कुल 00 बीघा 10 बिस्वा किता 01 योग रकबा 00 बीघा 10 कुल किता 01 की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा हथाई मे स्थित खाता संख्या 160 पर आराजी नं0 1200 कुल 00 बीघा 10 बिस्वा किता 01 योग रकबा 00 बीघा 10 बिस्वा की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, डूंगरपुर संबंधित भू0अ0 निरीक्षक के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिर्स्टब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू0 300./–प्रार्थी स्वंय राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,

डूंगरपुर